

वशिष ववाह अधनियम, 1954

प्रलिमिंस के लयि:

[वशिष ववाह अधनियम 1954](#), उत्तराधकार अधकार, [मुसलमि ववाह अधनियम, 1954](#), [हदु ववाह अधनियम 1955](#)

मेन्स के लयि:

[वशिष ववाह अधनियम के मूल प्रावधान, SMA से संबंधति मुददे](#)

[स्रोत: द हदु](#)

चर्चा में क्यो?

हाल ही में मध्य प्रदेश [उच्च न्यायालय](#) द्वारा एक मुसलमि पुरुष और एक हदु महिला के बीच ववाह के संबंध में दयि गए नरिणय ने [वशिष ववाह अधनियम \(Special Marriage Act- SMA\)](#) के तहत पंजीकृत होने के बावजूद, ध्यान आकर्षति कयि है।

- न्यायालय ने दंपतती की उस याचकिा को खारजि कर दयि, जसिमें उनहोंने [परसनल लॉ](#) के साथ असंगतता का हवाला देते हुए ववाह के पंजीकरण में सुरक्षा एवं सहायता की मांग की थी।
- SMA के तहत 'पंजीकृत ववाह' एक सविलि ववाह है, जो धार्मकि अनुष्ठानों के बनिा रजसिटरार कार्यालय में संपन्न होता है।

मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय का हालयिा नरिणय क्यो है?

- याचकिाकर्तताओं ने तर्क दयिा कि, चूँकि उनहोंने वशिष ववाह अधनियम के तहत ववाह करने की योजना बनाई थी, इसलयि इस्लामकि नकिाह समारोह अनावश्यक था और उनका इरादा हदु याचकिाकर्तता के इस्लाम में धर्मांतरण कयि बनिा अपने धर्म का पालन जारी रखने का था।
- हालाँकि, उच्च न्यायालय ने कहा कि [मुसलमि कानून](#) के अनुसार, एक मुसलमि पुरुष का एक हदु महिला के साथ ववाह वैध नहीं है; यहाँ तक कि अगर ऐसा ववाह वशिष ववाह अधनियम के तहत पंजीकृत भी हो, तो भी इसे अनयिमति माना जाएगा।
 - न्यायालय ने इस बात पर जोर दयिा कि इस संदर्भ में [परसनल लॉ](#), वशिष ववाह अधनियम के प्रावधानों पर हावी हैं (Override) और उसने दंपती की याचकिा खारजि कर दी।

वशिष ववाह अधनियम (SMA), 1954

- परचिय:
 - वशिष ववाह अधनियम, 1954 (Special Marriage Act- SMA) एक सविलि मेरजि को नयित्तरति करता है, जहाँ राज्य धर्म के बजाय ववाह को मंजूरी देता है।
 - संहतिाबद्ध धार्मकि कानून ववाह, तलाक और गोद लेने जैसे व्यक्तगित कानूनी मुददों को नयित्तरति करते हैं। मुसलमि ववाह अधनियम, 1954 और हदु ववाह अधनियम, 1955 जैसे कानूनों के अनुसार, ववाह से पूरव पती या पत्नी में से कसी एक को दूसरे के धर्म में धर्मांतरण करना आवश्यक है।
 - हालाँकि, SMA, बनिा अपनी धार्मकि पहचान छोड़े या धर्मांतरण का सहारा लयि, अंतर-धार्मकि या अंतर-जातीय जोड़ों के बीच ववाह को सक्षम बनाता है।
 - हालाँकि SMA, अंतर-धार्मकि या अंतर-जातीय जोड़ों के बीच उनकी धार्मकि पहचान त्यागे बनिा या धर्मांतरण का सहारा लयि बनिा ववाह को सक्षम बनाता है।
- परयोज्यता:
 - इस अधनियम की परयोज्यता देशभर में हदुओं, मुसलमानों, सखिों, ईसाइयों, जैनयिों और बौद्धों सहति सभी धर्मों के लोगों पर लागू होती है।
 - कुछ प्रथागत प्रतबिंध, जैसे कि पक्षों का नषिदिध रशिते की सीमा के अंतर्गत न होना (उनके व्यक्तगित कानूनों के अनुसार), अभी भी

SMA के तहत जोड़ों पर लागू होते हैं।

- SMA के तहत विवाह करने की न्यूनतम आयु पुरुषों के लिये 21 वर्ष और महिलाओं के लिये 18 वर्ष निर्धारित है।

■ प्रक्रिया:

- **अधिनियम की धारा 5** के अनुसार, विवाह के पक्षकारों को उस ज़िले के "विवाह अधिकारी" को लिखित रूप में नोटिस देना आवश्यक है, जिसमें नोटिस देने से ठीक पहले कम से कम 30 दिनों तक पक्षों में से कम से कम एक पक्ष नवास करता रहा हो।
- विवाह संपन्न होने से पूर्व पक्षकारों और तीन गवाहों को **विवाह अधिकारी** के समक्ष एक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करना आवश्यक होता है।

- एक बार घोषणा स्वीकार कर लिये जाने पर, पक्षों को एक "विवाह प्रमाणपत्र" प्रदान किया जाएगा जो अनिवार्य रूप से विवाह का प्रमाण होता है या "इस तथ्य का नरिणायक सबूत है कि इस अधिनियम के तहत विवाह संपन्न हो चुका है और इसमें गवाहों के हस्ताक्षर से संबंधित सभी औपचारिकताओं का पालन किया गया है"।

■ विशेष विवाह अधिनियम के अंतर्गत "नोटिस अवधि":

- धारा 6 के अनुसार, पक्षों द्वारा दिये गए नोटिस की एक सत्य प्रतिलिपि "मैरिज नोटिस बुक" के अंतर्गत रखी जाएगी, जो बना किसी शुल्क के, उचित समय पर नरीक्षण के लिये खुली रहेगी।
- नोटिस प्राप्त होने पर, विवाह अधिकारी इसे "अपने कार्यालय में किसी प्रमुख स्थान" पर प्रकाशित करेगा, ताकि **30 दिनों के भीतर** विवाह संबंधी कोई भी आपत्ति व्यक्त की जा सके।

■ SMA से जुड़ी चर्चाएँ:

- **विवाह पर आपत्तियाँ:** धारा 7 किसी भी व्यक्ति को नोटिस देने के 30 दिनों के भीतर विवाह पर आपत्ति प्रदर्शित करने की अनुमति देती है, यदि वह धारा 4 के तहत शर्तों का उल्लंघन करता है, जिसके तहत **विवाह अधिकारी** को विवाह संपन्न कराने से पूर्व आपत्ति की जाँच और समाधान करना आवश्यक होता है, जब तक कि आपत्ति वापस नहीं ले ली जाती।
 - इसका उपयोग **अक्सर सहमति देने वाले जोड़ों को परेशान** करने तथा उनके विवाह में देरी करने या उसे रोकने के लिये किया जा सकता है।
- **गोपनीयता संबंधी चर्चाएँ:** नोटिस प्रकाशित करने की आवश्यकता को **गोपनीयता के उल्लंघन** के रूप में भी देखा जा सकता है, क्योंकि इससे जोड़े की व्यक्तिगत जानकारी और उनके विवाह करने की योजना का खुलासा हो सकता है।
 - **सर्वोच्च न्यायालय** ने मौखिक टिप्पणी में कहा कि SMA के तहत प्रस्तावित विवाह पर सार्वजनिक आपत्ति व्यक्त करने के लिये 30 दिनों का अनिवार्य नोटिस "पतिव्यवस्थात्मक (Patriarchal)" है और इसे "ओपन फॉर इनवेशन बाय सोसाइटी" बनाता है।
- **सामाजिक लांछन:** भारत के कई भागों में **अंतर-जातीय या अंतर-धार्मिक विवाह** अभी भी व्यापक रूप से स्वीकार नहीं किये जाते हैं और जो जोड़े SMA के तहत विवाह करने का विकल्प चुनते हैं, उन्हें अपने परिवारों एवं समुदायों से सामाजिक लांछन (Social Stigma) तथा भेदभाव का सामना करना पड़ सकता है।

नोट:

- भारत का संविधान **अनुच्छेद 21** के तहत **जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार** की गारंटी देता है, जिसमें **अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने का अधिकार** भी शामिल है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह से जुड़े कई मामलों पर विचार किया है। जैसे-
 - **लता सहि बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, 2006 मामला:** न्यायालय ने माना कि अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने का अधिकार **अनुच्छेद 21 के तहत एक मौलिक अधिकार** है और माता-पिता या समुदाय सहित कोई भी व्यक्ति ऐसे विवाह में **हस्तक्षेप या आपत्ति नहीं कर सकता है**।
 - **शक्ति वाहनि बनाम भारत संघ, 2018 मामला:** सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि सहमति से जीवन साथी चुनना संविधान के **अनुच्छेद 19 और 21 के तहत गारंटीकृत** उनकी पसंद की स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति है।

नभिकर्ष:

- मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के नरिणय ने भारत में **व्यक्तिगत कानूनों और धर्मनिरपेक्ष विवाह कानून** के बीच परस्पर क्रिया से उत्पन्न जटिलताओं एवं संघर्षों को उजागर किया, भारत में अंतरधार्मिक जोड़ों के सामने आने वाली **चुनौतियों** को रेखांकित किया। आगे बढ़ते हुए **विवाह से संबंधित कानूनी ढाँचों और सामाजिक-सांस्कृतिक गतिशीलता** की सूक्ष्म समझ की आवश्यकता होती है।

दृष्टिभेन्स प्रश्न:

प्रश्न. भारत में विशेष विवाह अधिनियम, 1954 के तहत विवाह करने के इच्छुक जोड़ों के सामने आने वाली चुनौतियों पर चर्चा कीजिये। साथ ही इन मुद्दों को हल करने के लिये संभावित सुधारों का सुझाव दीजिये।

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न

??????:

प्रश्न. भारतीय इतहिस के संदर्भ में, 1884 का रखमाबाई मुकदमा कसि पर केंद्रति था? (2020)

1. महिलाओं का शक्तिषा पाने का अधिकार
2. सहमतकी आयु
3. दांपत्य अधिकारों का प्रत्यास्थापन

नीचे दयि गये कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनयि:

- (a) केवल 1 और 2
- (b) केवल 2 और 3
- (c) केवल 1 और 3
- (d) 1,2 और 3

उत्तर: (b)

प्रश्न: भारत के संवधान का कौन-सा अनुच्छेद अपनी पसंद के व्यक्तिसे वविाह करने के कसी व्यक्तिके अधिकार को संरक्षण देता है? (2019)

- (a) अनुच्छेद 19
- (b) अनुच्छेद 21
- (c) अनुच्छेद 25
- (d) अनुच्छेद 29

उत्तर: (b)

??????:

प्रश्न. प्रासंगकि संवधानकि प्रावधानों और नरिणय वधियिों की मदद से लैंगकि न्याय के संवधानकि परिरेक्ष्य की व्याख्या कीजयि। (2023)